FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम (SDO) बायतु

खेताराम वगैरा बनाम मोहनसिंह वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111, 128 RTA नं. 370/2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/12/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री महावीर सोनगरा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24/01/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
24/01/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी डिलीवरी रिपोर्ट प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगणों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 19/04/2022 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेढा-निढ आये हुए हैं। खेतों के मध्य जो पुरानी मेढें व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से मिट गये हैं जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत की सीमाओं को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने हेतु पत्थरबंदी करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पत्थरबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार [illegible] को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वह स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थरबंदी मौके पर कमिश्नर रिपोर्ट जमा करावें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली कोमल कुमार द्वारा इसी नम्बर से पेश हो शामिल मिसल हो। सहायक कलक्टर (SDO) [illegible]

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 371403 दिनांक : 27/04/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. खेताराम पुत्र पेमाराम वगैरा 04,
जाति कुम्हार, निवासी रतेऊ,
पटवार मण्डल रतेऊ,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. मोहनसिंह पुत्र तेजसिंह वगैरा 04,
जाति रावणा राजपुत, निवासी रतेऊ,
पटवार मण्डल रतेऊ,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 370 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – रतेऊ, पटवार मण्डल – रतेऊ, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 140 रकबा 9.5182 हेक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 27/04/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 404-408

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का रतेऊ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खेताराम पुत्र पेमाराम वगैरा 04,
4. विप्रार्थी श्री मोहनसिंह पुत्र तेजसिंह वगैरा 04,
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु